न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 66 / 2024

1 भागीरथ सिंह उम्र 34 साल पुत्र चैनसिंह
2 विजेन्द्र सिंह उम्र 39 साल पुत्र कल्याण सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम कुमास जागीर तहसील नेछवा जिला सीकर मो. 9664389392

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपीलांटस

बनाम

1 दिनेश कुमार अग्रवाल पुत्र गौरीशंकर अग्रवाल जाति महाजन निवासी ग्राम नेछवा तहसील नेछवा जिला सीकर।
2 मोतीलाल मातवा पुत्र नानूराम मातवा जाति जाट निवासी जाखला तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर। (नाम हजफ)
3 धन्नाराम पुत्र जगमाल सिंह जाति जाट निवासी तिडवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
4 राजकुमार शेषमा पुत्र केशरदेव शेषमा जाति जाट निवासी सिहोट छोटी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर।
5 शेषमा पुत्र केशर देव जाति जाट निवासी सिहोट छोटी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर।
6 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नेछवा जरिये शाखा प्रबन्धक।
7 पटवारी हल्का ग्राम कुमास जागीर तहसील नेछवा जिला सीकर।
8 उप पंजीयक नेछवा जिला सीकर।
9 तहसीलदार नेछवा जिला सीकर।
10 किशनसिंह पुत्र सुख सिंह
11 प्रेमसिंह पुत्र सुखसिंह
12 विरेन्द्र सिंह पुत्र कल्याणसिंह
13 कंचन कंवर पुत्री कल्याणसिंह
14 छोटूकंवर पत्नी कल्याणसिंह
15 हणमान सिंह पुत्र बचन सिंह (फौत दिनांक 02.10.2024)
15/1 किशोर सिंह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

15/2 इन्द्र सिंह
15/3 भगवानसिंह पुत्रगण हणमान सिंह
15/4 भंवर कंवर
15/5 बिमला कंवर पुत्रियां हणमान सिंह
16 भंवर कंवर पुत्री चैनसिंह
17 कुम्भ सिंह पुत्र चैनसिंह
18 महेन्द्र सिंह पुत्र चैन सिंह
19 भवानी सिंह पुत्र चैनसिंह
20 सिरे कंवर पत्नी चैनसिंह
21 बजरंग सिंह पुत्र गिरवर सिंह
22 विक्रम सिंह पुत्र गिरवर सिंह
23 मूल कंवर पत्नी गिरवर सिंह
24 मदन सिंह पुत्र नाथू सिंह
25 घनश्याम सिंह पुत्र नाथू सिंह
26 भंवरी कंवर पुत्री नाथू सिंह
27 स्वरूप कंवर पुत्री नाथू सिंह
28 उच्छव कंवर पत्नी भंवर सिंह
29 कंचन कंवर उर्फ कवन कंवर पुत्री भंवर सिंह
30 भंवर कंवर पत्नी नरेन्द्र सिंह
31 ऋषिराज उम्र 14 साल पुत्र नरेन्द्र सिंह अवयस्क नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता भंवर कंवर पत्नी नरेन्द्र सिंह
32 भंवर कंवर पत्नी पर्वतसिंह
33 गजेन्द्र सिह पुत्र पर्वतसिंह
34 हंसा कंवर पत्नी सुरेन्द्र सिंह
35 दिपेन्द्र सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह
36 प्रिया शेखावत पुत्री सुरेन्द्र सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम कुमास जागीर तहसील नेछवा जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री
न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक),
लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर प्रकरण दिनेश कुमार
बनाम मोतीलाल वगै. मुकदमा नम्बर 244/2013
निर्णय व डिक्री दिनांक 14.03.2015

अपील संख्या 65/2024

1 भागीरथ सिंह उम्र 34 साल पुत्र चैनसिंह
2 विजेन्द्र सिंह उम्र 39 साल पुत्र कल्याण सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम कुमास जागीर तहसील नेछवा जिला सीकर मो. 9664389392

अपीलांटस

बनाम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

1 दिनेश कुमार अग्रवाल पुत्र गौरीशंकर अग्रवाल जाति महाजन निवासी ग्राम नेछवा तहसील नेछवा जिला सीकर।
2 मोतीलाल मातवा पुत्र नानूराम मातवा जाति जाट निवासी जाखला तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर। (नाम हजफ)
3 धन्नाराम पुत्र जगमाल सिंह जाति जाट निवासी तिडवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
4 राजकुमार शेषमा पुत्र केशरदेव शेषमा जाति जाट निवासी सिहोट छोटी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर।
5 शेषमा पुत्र केशर देव जाति जाट निवासी सिहोट छोटी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर।
6 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नेछवा जरिये शाखा प्रबन्धक।
7 पटवारी हल्का ग्राम कुमास जागीर तहसील नेछवा जिला सीकर।
8 उप पंजीयक नेछवा जिला सीकर।
9 तहसीलदार नेछवा जिला सीकर।
10 किशनसिंह पुत्र सुख सिंह

भू-प्रबन्ध अधिकारी, एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

11 प्रेमसिंह पुत्र सुखसिंह
12 विरेन्द्र सिंह पुत्र कल्याणसिंह
13 कंचन कंवर पुत्री कल्याणसिंह
14 छोटूकंवर पत्नी कल्याणसिंह
15 हणमान सिंह पुत्र बचन सिंह (फौत दिनांक 02.10.2024)
15/1 किशोर सिंह
15/2 इन्द्र सिंह
15/3 भगवानसिंह पुत्रगण हणमान सिंह
15/4 भंवर कंवर
15/5 बिमला कंवर पुत्रियां हणमान सिंह
16 भंवर कंवर पुत्री चैनसिंह
17 कुम्भ सिंह पुत्र चैनसिंह
18 महेन्द्र सिंह पुत्र चैन सिंह
19 भवानी सिंह पुत्र चैनसिंह
20 सिरे कंवर पत्नी चैनसिंह
21 बजरंग सिंह पुत्र गिरवर सिंह
22 विक्रम सिंह पुत्र गिरवर सिंह
23 मूल कंवर पत्नी गिरवर सिंह
24 मदन सिंह पुत्र नाथू सिंह
25 घनश्याम सिंह पुत्र नाथू सिंह
26 भंवरी कंवर पुत्री नाथू सिंह
27 स्वरूप कंवर पुत्री नाथू सिंह
28 उच्छव कंवर पत्नी भंवर सिंह
29 कंचन कंवर उर्फ कवन कंवर पुत्री भंवर सिंह
30 भंवर कंवर पत्नी नरेन्द्र सिंह
31 ऋषिराज उम्र 14 साल पुत्र नरेन्द्र सिंह अवयस्क नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता भंवर कंवर पत्नी नरेन्द्र सिंह
32 भंवर कंवर पत्नी पर्वतसिंह
33 गजेन्द्र सिह पुत्र पर्वतसिंह
34 हंसा कंवर पत्नी सुरेन्द्र सिंह
35 दिपेन्द्र सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह
36 प्रिया शेखावत पुत्री सुरेन्द्र सिंह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम कुमास जागीर तहसील नेछवा जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री
न्यायालय सहायक कलेक्टर फा.ट्रे. लक्ष्मणगढ़
प्रकरण दिनेश कुमार बनाम मोतीलाल वगै.
मुकदमा नम्बर 244/2013 प्रारम्भिक निर्णय
व डिक्री दिनांक 28.05.2014

उपस्थिति :

1. श्री कैलाश स्वामी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रामचन्द्र, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री विरेन्द्र स्वामी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
4. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

–निर्णय–

दिनांकः–7/8/25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 244/2013 में पारित निर्णय दिनांक 28.05.2014, 14.03.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 43/1 जिसके नये खसरा नम्बर 240, 241/1, 241/2, 241/3, 241/4, 241/5, 241/6, 247, 321/1, 321/2 वाके ग्राम कुमास जागीर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भारत भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

विचाराधीन निर्णय से वाद वादी प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपीले धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अंतिम डिक्री पारित करने में पूर्व नातो प्रकरण में तनकी कायम क गयी नाही साक्ष्य रिकार्ड पर ली गयी तथा ना ही विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत किये जाने का अवसर ही प्रदान किया गया नाही विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान को सुना गया इस प्रकार बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किये चुनौतिग्रस्त निर्णय व डिक्री पारित की है। विचाराधीन निर्णय व डिक्री के समय प्रस्तुत चालू जमाबन्दी में चुनौतिग्रस्त खसरा नम्बर 43/1 रकबा 13.0900 हैक्टेयर के अलावा तत्कालीन खसरा नम्बर 107/127, 60/13, 81 व 94 भूमियां भी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट अन्य खातेदारान की भूमियां थी लेकिन वादी ने मात्र एक खसरा नम्बर 43/1 का बंटवारा करवाया है जबकि अन्य भूमियां भी सह-खातेदारी में दर्ज थी तथा समस्त खातेदारान सभी खसरा नम्बरों से प्रभावित थे मात्र एक खसरा नम्बर 43/1 का विभाजन कानूनन संभव नहीं था क्योंकि खसरा नम्बर 43/1 से अपीलान्ट व अन्य खातेदारान भी प्रभावित थे तथा उनके हक हिस्सा जो विभाजन में कम किया उसके बदले में किस खसरा नम्बर में उनका रकबा बढ़ाया गया यह भी उक्त डिक्री अथवा विभाजन प्रस्ताव में अंकन नहीं किया गया है तथा वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कब्जा गलत जगह दर्शित कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत कर बाला-बाला डिक्री जार करवायी गयी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी ने मृत व्यक्तियों के खिलाफ दावा पेश किया है तथा अपीलान्ट उनके वारिस थे अपीलान्ट को कभी भी विचाराधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हुयी तथा नाही उन्हें सुनवायी का अवसर दिया गया तथा नाही उन्हें पक्षकार ही संयोजित किया गया मात्र बाला-बाला विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की गयी है। विचाराधीन निर्णय व डिक्री मृत व्यक्तियों के विरूद्ध पारित की गयी है प्रतिवादी संख्या 4 चैनसिंह की मृत्यु वर्ष 2009 में हो गयी थी तथा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर
सत्यमेव जयते

उनके वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया तथा मृत चैन सिंह के विरूद्ध विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी गयी इसी प्रकार कल्याणसिंह जो प्रतिवादी संख्या 11 था उसकी भी मृत्यु वर्ष 2007 में हो गयी थी उनके वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया तथा पारित निर्णय व डिक्री मृत व्यक्ति कल्याणसिंह के विरूद्ध पारित की गयी है इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 12 सुप्यार कंवर उर्फ शायर कंवर पत्नी सुख सिंह जो दावा दायरी के समय फौत हो चुकी थी उसके वारिसान के बाबत कोई कथन दावे में वादी द्वारा नहीं किया गया इस प्रकार स्पष्ट है कि विचाराधीन निर्णय व डिक्री मृत4 व्यक्तियों को पक्षकार बनाकर व उसके वारिसान को/अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो कानूनन प्रारम्भतः शून्य है। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार को अपनी आदेशिका दिनांक 28.05.2014 में स्पष्ट अंकन किया गया है कि " दावा विभाजन से संबंधित है अतः तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर पत्रावली दिनांक 20.06.2014 को पेश हो" इसके बावजूद हल्का पटवारी द्वरारा मौके पर किसी भी खातेदार अथवा मृत खातेदारान के पक्षकारान को कोई नोटिस अथवा सूचना दिये बिना बाला–बाला दिनांक 25.11.2014 को अपनी फर्द मौका विभाजन तैयार किया गया। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 14.03.2015 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा नये पक्षकार आदेश 01 नियम 10 सीपीसी के आवेदन पर पक्षकार बना लिये जाने के बावजूद व संशोधित शीर्षक प्रस्तुत हो जाने पर नये बने पक्षकारों की तामील करवाये बिना व आपत्तिकर्ता सुरेन्द्रसिंह जो कि खातेदार था (अपने दादा नाथू सिंह की खातेदारी में दर्ज भूमि पर) की आपत्ति आ जाने के बावजूद उसे भी जवाबदेही प्रस्तुत करने अथवा आपत्ति पर अंतिम कानूनी चाराजोही करने का अवसर दिये बिना एक खातेदार काश्तकार को दस्तावेजी साक्ष्य पेश न करने का कथन कर उसे न्याय से वंचित किया गया। न्यायहित में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कार्यालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

डिक्री दिनांक 14.03.2015 से जानकारी की दिनांक 30.03.2024 तक की अवधि कंडोन की जाकर अपील अवधि भीतर माना जाना न्यायोचित है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 43/1 जिसके नये खसरा नम्बर 240, 241/1, 241/2, 241/3, 241/4, 241/5, 241/6, 247, 321/1, 321/2 वाके ग्राम कुमास जागीर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री कर दिया। इसके विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 4 व 11 के पुत्रों की ओर से धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में विभाजन का अनुतोष खसरा नम्बर 43/1 के लिए चाहा गया था। विचारण न्यायालय में विधिक प्रकिया अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विधि अनुसार अंतिम डिक्री जारी की गई है। विचाराधीन निर्णय की पालना राजस्व रिकार्ड में हो चुकी है। अपील में प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 43/1 जिसके नये खसरा नम्बर 240, 241/1, 241/2, 241/3, 241/4, 241/5, 241/6, 247, 321/1, 321/2 वाके ग्राम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कुमास जागीर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी प्राथमिक एवं अंतिम डिकी कर दिया। इसके विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 4 व 11 के पुत्रों की ओर से अपील प्रस्तुत की गई है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 4 व 11 चैनसिंह व कल्याण सिंह के नाम जारी नोटिस दिनांक 14.08.2013 की पुश्त पर तामील कुनिन्दा ने स्पष्ट अंकित किया है कि चैन सिंह व कल्याण सिंह फौत हो चुके है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में यह नोटिस संलग्न है। विचारण न्यायालय ने यह तथ्य पत्रावली पर आने के उपरांत भी इनके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कोई कार्यवाही किये बिना मृत व्यक्ति के विरूद्ध विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिकी जारी कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधिक प्रकिया के विपरित होने से विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिकी को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि मृत पक्षकारों के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेकर, जवाब दावा प्राप्त कर, तनकी कायम कर, साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.08.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 7/8/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

सत्यमेव जयते

(अनिल कुमार II)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर